आदेश पत्रक

(नियम 13)

{General Rules (civil), Rule 103, Appendix 'B', From No. 9}

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ

कुमारी पुत्री बीरबलसिंह जाति जाट ... दोलतपुरा तहसील व जिला सीकर	–बनाम–	जरिनाबानो पत्नी रफीक वगैरह जाति कसाई निवासी झाझडियों की ढाणी तन बिरोल तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू (राज.)

मु.नं. 34/2025

... मुकदमा –प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

...04/2025	यह प्रार्थना–पत्र प्रार्थी कि ओर से जरिये वकील श्री सज्जन कुमार चाहर एवं श्री नेमीचन्द डुडी ने पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 में वर्णित विवादित भूमि राजस्व ग्राम झाझडिया की ढाणी तन बिरोल तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू की सरहद में स्थित भूमि खाता संख्या नया 39 पुराना खाता संख्या 111 के अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर 971 रकबा 0.5900 हैक्टेयर भूमि के संबंध में अनावेदकगण संख्या 1 लगायत 9 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 में वर्णित भूमि का जब तक सही तरीके से विधिवत विभाजन नही हो जाता है तब तक उक्त भूमि को किसी अन्य को विक्रय व हस्तान्तरित नहीं करें, ना ही भूमि को खुर्द–बुर्द करें, ना ही वादिया को भूमि से बेदखल करें, उक्त कार्य नही ना तों स्वयं करे ओर ना ही अपने नौकर–चाकर, एजेन्ट, रिश्तेदार आदि से करवायें। मौके एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। आवेदक वकील व आवेदक को मौखिक तौर पर सुना गया। प्रथम दृष्टया आवेदक वकील का उक्त कथन उचीत प्रतीत होता है। अतः अनावेदकगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जाता है कि वे प्रार्थना पत्र में वर्णित विवादित भूमि राजस्व ग्राम झाझडिया की ढाणी तन बिरोल तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू की सरहद में स्थित भूमि खाता संख्या नया 39 पुराना खाता संख्या 111 के अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर 971 रकबा 0.5900 हैक्टेयर भूमि के संबंध में भूमि के मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति आगामी तारीख पेशी तक बनाये रखें। उक्त आदेश प्रचलित/कटानी/डबल–डोटेड रास्तों पर प्रभावी नहीं होगा। आवेदक सी.पी.सी. ऑर्डर 39(3) की पालना सुनिश्चित करे। नोटिस/तामील रजिस्ट्रड डाक से जारी होकर पत्रावली वास्ते तलबी हेतु दिनांक 07.05.2025 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ 7/5/25 पत्रावली पेश हुई। श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ दौरे/अवकाश/अन्य कार्यों में व्यस्त होने से पत्रावली मय आदेशानुसार आयन्दा दिनांक 11.6.25 को पेश हो।	

11/6/25 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ नवलगढ़ द्वारा कार्य स्थगित किये जाने तथा श्रीमान P.O. सा. अन्य कार्य में व्यस्त होने से पत्रावली आयन्दा दिनांक 9/7/25 को पेश हो।

9/7/25

वकील अप्रा पक्ष उप/अप्रा० नं. 2 लगा० 4,7,9, की ओर से वकील की सूचि मार्फत उप/अप्रार्थीगण नं. 5,6,8 की मूल वाद में एक पक्षीय कार्यवाही होने से इस प्रा०पत्र में भी एक पक्षीय कार्यवाही की गयी है। अप्रा० नं. 10 की ओर से पैरो (उप अप०/ अप्रा० नं. 1 की मौत होना पत्रावली पर आया है। पत्रावली वास्ते पेश करने आवेदन मुताबिक प्रा०पत्र अप्रा० नं. 1 व पेश करने नकल प्रा० पत्र मूल आयन्दा दिनांक 14/8/25 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

14/8/25 पत्रावली पेश हुई। श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ दौरे/अवकाश/अन्य कार्यों में व्यस्त होने से पत्रावली मय आदेशानुसार आयन्दा दिनांक 17/10/25 को पेश हो।

24/9/25

वकील वादी/आवेदक उप० व पत्रावली आज पेशी पर लेने का निवेदन किया तथा प्रा० पत्र को इसी स्तर पर विड्रा किये जाने का निवेदन किया। इस प्रा० पत्र से सम्बन्धित मूल वाद भी विड्रा कर लिया गया है। लिहाजा इस प्रा० पत्र को चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। इस प्रा०पत्र में दिनांक 7/5/25 को पारित आदेश तत्काल [illegible]

तारीख पेशी
17/10/2025

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय,

नवलगढ।

अनिता कुमारी बनाम जरीना बानो आदि

प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

मु.नं. 34/25

मु.नं.

महोदय,

निवेदन है कि उपरोक्त उनवानी प्रकरण में आवेदिका व अनावेदकगण के मध्य राजीनामा हो गया है और आवेदिका व अनावेदकगण ने अपने राजीनामे के आधार पर मौके पर समस्त विवाद का निस्तारण कर लिया है इसलिये आवेदिका उपरोक्त उनवानी प्रकरण को आगे नहीं चलाना चाहती है इसलिये उपरोक्त उनवानी प्रकरण की पत्रावली आज की तारीख पेशी में तलब फरमाने की कृपा करें।

24.9.25

अतः प्रार्थना–पत्र पेशकर निवेदन है कि उपरोक्त उनवानी प्रकरण की पत्रावली आज की तारीख पेशी में तलब फरमाने की कृपा करें।

दिनांक :– 24.9.25

प्रार्थीया / आवेदिका

अनिता कुमारी पुत्री बलबीर सिंह
जाति जाट निवासी दौलतपुरा सीकर
जिला सीकर राज. हाल आबाद
झाझडिया की ढाणी, बिरोल तहसील
नवलगढ जिला झुन्झुनूं राज.।

Pd.